न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 28/2020 पीडीआर एक्ट

उनवान

नगर परिषद भीलवाडा जरिये आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

केदार झंवर निवासी बास वाली गली, वार्ड नम्बर 46, संजय कॉलोनी भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी – राजेन्द्र कचौलियॉ, छोटूलाल माली।
2. अधिवक्ता विपक्षी – गोपाल सोनी, धर्मेन्द्र तिवाडी।

निर्णय

दिनांक : 07/01/2026

1– प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि– प्राथी नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में सत्र 2019–20 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने हेतु एक साथ निलामी दिनाक 06.02.2019 को लगाई गई जिसमें विपक्षी केदार झंवर निवासी बास वाली गली, वार्ड नम्बर 46, सजंय कॉलोनी भीलवाडा ने भी निलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 03, 08, 21, 61, 86, 91, 99, 106 व 110 के लिये निलामी बोली छुडाई गई।

2– विपक्षी केदार झंवर ने प्रार्थी के यहाँ निलामी बोली छुडाने के बाद कोई बकाया राशि जमा नहीं कराई और सत्र 2019–20 के लिये विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन को काम लेकर विज्ञापन लगाने लगे और लोंगों से पैसा लेने लगे परन्तु कोई राशि प्रार्थी के यहाँ जमा नहीं कराई।

3– प्रार्थी के कार्यालय के यहाँ से विपक्षी केदार झंवर को कई नोटिस जारी किये गये जिनका विवरण निम्न है–पत्र क्रमांक/ नपभी/राजस्व /2019/17644 दिनाक 21.02.2019, नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/821 दिंनाक 15.04.2019 व नोटिस क्रमांक/नपभी/राजस्व/2019/20674 दिंनाक 24.01.2020 व अन्तिम नोटिस कमांक/नपभी / राजस्व/2020/4950–55 दिनाक 23.06.2020 उक्त सभी नोटिस विपक्षी को जारी कर विपक्षी से नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग साईड संख्या 03, 08, 21, 61, 86, 91, 99, 106 व 110 के लिये नीलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 5,41,305/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहित बकाया है को जमा कराने हेतु जारी किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4– विपक्षी को प्रार्थी द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी विपक्षी केदार झंवर द्वारा कोई राशि प्रार्थी कार्यालय नगर परिषद भीलवाडा के यहाँ जमा नहीं कराई है। उक्त सरकारी बकाया राशि की वसूली हेतु प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

5– विपक्षी मदयून का माल, बैंक खाते से व धन, बैंक नोट बैंक विनिमय पत्र हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जावे।

अतः प्रार्थी की और प्रस्तुत वसूली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी केदार झंवर से सत्र 2019–20 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिग साईड संख्या 03, 08, 21, 61, 86, 91, 99, 106 व 110 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 5,41,305/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

6– **बाद जांच प्रकरण दिनांक 27.08.2020 को पजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से जवाब पेश। रिकॉर्ड प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।**

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि– विपक्षी केदार झंवर से सत्र 2019–20 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 03, 08, 21, 61, 86, 91, 99, 106 व 110 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 5,41,305/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

7– **विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस/जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि–** निलामी छुडाई गई बकाया राशि जमा कराने पर भी जो साईड आवंटित हुई उनका प्रकाशन मेरे पक्ष में नहीं किया गया न ही मेरे बार–बार कहने पर वहां से अतिक्रमण हटाया। जब मै स्वयं प्रार्थी ही वहां जाकर मौखिक निवेदन करने पर आवंटित साईट मुझे नियमानुसार आवंटित नही की और न ही अतिक्रमण हटाया और मौखिक यह कहकर मुझे हर बार वापस भेज दिया गया कि अब हम कोई नोटिस नहीं निकालेगे और आपको आवंटित साइटों से अतिक्रमण हटाकर आपको सौंप देंगे। प्रार्थनापत्र की पैरा संख्या 5 नितान्त मिथ्या, असत्य एवं मनगढंत होकर अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी/विपक्षी द्वारा प्रार्थी के बार–बार निवेदन करने एवं अकारण नोटिस भेजने का कारण पुछने पर राजनैतिक दबाव में केवल मुझे संतुष्ट कर मौखिक तौर से कि आपके विरुद्ध कोई

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कार्यवाही नहीं की जायेगी आप निश्चित रहें इस प्रकार मेरे साथ छल, कपट कर मुझे निलामी से वंचित कर मुझे हैरान, परेशान तंग कर रखा है।

8— वास्तविक कथन यह कि दिनांक 05/02/2019 व 06/02/2019 को नीलामी स्वीकृति 9 साईटे क्रमशः दिनांक 05/02/2019 साईट संख्या 03 होर्डिंग स्थल सुखाडिया सर्किल अजमेर रोड पुर्वी व उत्तरी कोने नीलामी दिनांक 05/02/2019 क्रमशः 31000, 32000 व साईड संख्या 08 में सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस के कोने पर गायत्री आश्रम के सामने राशि 70500, 71500 व साईज संख्या 21 होटल लेण्डमार्क के पास, रेलवे की दिवार के सहारे राशि 51200/— रूपये, 52100/—रू., 52300/— रू., 53000/—रू., 55200/— रू., 53800/— रू., 565000/— रू., 56800/— रू., 57000/— रू. 57500/— रू. व निलामी साईट संख्या 61, सोलंकी टॉकीज रोड नाले पर राशि 43500/—रू., 45000/—रू., 47000/—रू., 50,000/—रु., साईट संख्या 9 आर्ट गैलरी के बाहर राशि 49000/—रू., साईट संख्या 86 अहिंसा सर्किल माण्डलगढ रोड राशि 40,000/—रू., 41,000/—रु., साइट संख्या 106, तरणताल के पास 74,000/—रु., 76,000/—रु., 78,000/—रु., 79,000/—रु., 81,000/—रू. व साईट संख्या 99 रोडवेज स्टेण्ड पेट्रोल पम्प के पास, पूर्व से पश्चिम राशि 62,000/—रु., 63,000/— रु., 64,000/—रु., 71,000/—रु., 73,000/—रू. व साईट संख्या 110 गांधी पार्क के अन्दर, माणिक्य नगर मे राशि 44,000/—रू., 50,000/—रू., 65,000/—रु., 66,000/—रु., 68,000/—रु., क्रमशः कुल नौ साईट राशि 5,23,000/— अक्षरे पांच लाख तेईस हजार रू. मे नीलामी प्रक्रिया अनुसार 1/4 की राशि विपक्षी द्वारा दिनांक 07/02/2019 राशि 130750/— रुपये व इस पर जीएस 18 प्रतिशत राशि 23535 रसीद सख्या 670 दिनांक 07/02/2019 को जमा करवायी गयी।

9— मुझ प्रार्थी को आवंटित साइटों को तथा निलामी राशि 1/4 नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1 के अनुसार जमा करवाने के बाद मेरी एक साईट को प्रार्थी द्वारा अपनी स्वीकृत होर्डिंग्स साईट में से हटा दिया गया साईट संख्या 106 को जिसकी अधिकतम राशि 81000/— रु. हैं। जिसकी मौखिक जानकारी मुझ विपक्षी द्वारा प्रार्थी के यहां कई बार चाही लेकिन कोई संतोषजनक सूचना नहीं देने पर मुझ प्रार्थी द्वारा आर.टी. आई. से सूचना ली गयी तथा मेरे द्वारा नीलामी में जो साईट 106 दी गई उसके बारे में आज दिन तक प्रार्थी द्वारा कोई जवाबनहीं दिया गया और बार—बार पत्र भेजकर शेष 3/4 राशि की माग की गयी जो विधि के विपरीत है तथा मेरी नीलामी साईट जो मुझे नीलामी में अधिकतम राशि पर प्राप्त की गई का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया तथा मुझ विपक्षी को नाजायज परेशान करने के लिए एकतरफ 3/4 राशि की मांग की गयी और दुसरी तरफ कोई संतोषजनक जवाब नहीं देकर मेरी नीलामी पेटे राशि जो मुझ प्रार्थी द्वारा 156285/— रूपये राशि भी प्रार्थी द्वारा जब्त कर मेरे विरूद्ध अवैधानिक प्रक्रिया अपना मुझे ब्लेकलिस्ट कर दिया गया जिसकी जानकारी अन्तिम नोटिस दिनांक 24/07/2020 को जारी कर दिया गया, मेरे नाम नीलामी में मेरे नाम पर स्वीकृत किये गये स्थान पर अतिक्रमण कर होर्डिंग लगा रखे थे उनको हटाने बाबत भी मुझ विपक्षी द्वारा कई बार निवेदन किया गया लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नही हुई तथा मुझ प्रार्थी के पत्र क्रमांक 20674 दिनांक 24/01/2020 के क्रम मे प्रार्थनापत्र पेश कर मुझे नोटिस क्रमांक 821—2019 दिनांक 10/04/2019 मेरी 25 प्रतिशत राशि को जब्त नहीं कर मुझे ब्लेकलिस्ट नहीं करें का निवेदन किया गया।

10— मुझ विपक्षी को कुल साईट की 1/4 राशि जमा करवाने तथा मौखिक कई बार अतिक्रमण हटवाने तथा स्वीकृत साईट में जो निलामी प्रक्रिया में मुझे आवंटित साईट 106 का नाम विलोपित करने तथा मुझ प्रार्थी/विपक्षी द्वारा एग्रीमेन्ट हेतु निवेदन करने पर भी आज दिनांक तक कोई आवंटित साईट नहीं बतायी तथा न ही अतिक्रमण हटवाया व एग्रीमेन्ट नहीं किया व विलोपित साईट नहीं बताई इस प्रकार जो अविधिक प्रक्रिया द्वारा केवल एकतरफा कार्यवाही चालू रख मुझे मेरी जमा राशि 155280/— रू. से भी महरूम कर मुझे नाजायज परेशान करने की गरज से अवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं तथा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजनैतिक दबाव में मुझे ब्लेकलिस्ट कर दिया जो अविधिक होने से तथा पीडीआर की प्रक्रिया की पालना एकतरफा कार्यवाही मानते हुए यह दबाव डाला जा रहा है कि यदि वसुली राशि जमा नहीं कराई तो सम्पत्ति की कुर्की कर सभी सभी भौतिक साधनों से हीन कर देंगे। जबकि मुझ प्रार्थी द्वारा समय–समय पर आयुक्त महोदय नगर परिषद, भीलवाडा के समक्ष पेश होने पर भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देकर केवल और केवल अपने आकाओं के ईशारे पर मुझे वसुली राशि वसुलने के लिए अविधिक हथकंडे अपनाकर जो झुठा बेबुनियाद तथा छलकपट से युक्त जो कार्यवही हेतु आप श्रीमान के समक्ष जो पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही हैं को इसी स्तर पर ड्रॉप फरमायी जावे तथा मुझे ब्लेकलिस्ट से बाहर कर मेरे आर्थिक नुकसान की भरपाई करायी जाने का निवेदन किया गया।

11– **उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि–** विपक्षी केदार झंवर से सत्र 2019–20 की नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग/विधुत पॉल्स पर कियोस्क विज्ञापन लगाने की होर्डिंग साईड संख्या 03, 08, 21, 61, 86, 91, 99, 106 व 110 के लिये निलामी बोली छुडाई उसकी बकाया राशि कुल 5,41,305/– रूपये मय ब्याज व जी.एस. टी. सहीत वसूल करने हेतु वारन्ट जारी कराया जावे तथा वसूल नहीं होने पर विपक्षी मदयून का माल, बैंक खातें से व घन, बैंक नोट चैक विनिमय पत्र, हुन्डी, वचनपत्र, सरकारी प्रतिभूतियों, धन के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूतियों, ऋण, निगम अंश, तथा अन्य चल सम्पति स्कुटर, कार तथा मोटर साईकिल व दीगर जो भी हो इसके अलावा प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि की वसूली चल सम्पति से न हो सके तो प्रार्थी कार्यालय की सरकारी राशि विपक्षी मदयून की अचल सम्पति को कुर्क व निलाम करा वसुल करा दिलाई जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 (पीडीआर एक्ट) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव–

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 04 राजस्थान सरकार मतालबा वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार किया जाता है। विपक्षी केदार झंवर निवासी बास वाली गली, वार्ड नम्बर 46, संजय कॉलोनी भीलवाडा, जिला भीलवाडा से 5,41,305/– रूपये मय ब्याज व जी.एस.टी. सहीत वसूली योग्य ठहरती है। मांग राशि 5,41,305/– रूपये के 02 प्रतिशत खर्चा राशि वसूल करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा अनुभाग, जिला कलेक्ट्रेट भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड नगर निगम भीलवाडा जरिये आयुक्त, नगर निगम भीलवाडा को भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा